

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना
सं. 22/2023-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 17 जुलाई, 2023

सा.का.नि.(अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i), में सा.का.नि. सं. 1600(अ), तारीख 29 दिसंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 73/2017-केन्द्रीय कर, 29 दिसंबर, 2017 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सातवें परंतुक में, शब्दों, अक्षरों और अंकों, "30 जून, 2023" के स्थान पर, शब्दों, अक्षरों और अंकों, "31 अगस्त, 2023" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 30 जून, 2023 से प्रभावी मानी जाएगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/10/2023-जीएसटी]

(आलोक कुमार)
निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 73/2017-केन्द्रीय कर, 29 दिसंबर, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i), में सा.का.नि. सं. 1600(अ), तारीख 29 दिसंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i), में सा.का.नि. सं. 245(अ), तारीख 31 मार्च, 2023 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 02/2023-केन्द्रीय कर, 31 मार्च, 2023 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।